

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक प.3(25)नविवि / 3 / 2006

जयपुर, दिनांक: **2 MAR 2013**

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.2012 में जयपुर विकास प्राधिकरण/
जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/ नगर विकास न्यास/नगर
निगम/नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी. एवं मध्यम
वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज
राशि एवं शारित में छूट बाबत् निर्धारित पूर्व तिथि दिनांक 30.09.2012 का अंकन हो गया
था, जिसे अब दिनांक 31.03.2012 पढ़ा जावे।

आज्ञा से,

 3/2013
(एन.एल.मीना)

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वाठा शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वाठा शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
6. संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय/तृतीय)/शासन उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने
स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव—तृतीय